



साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

(एक मिनी रत्न कम्पनी / A Mini Ratna Company)

सीआईएन नं० / CIN No. U10102CT1985GOI003161

पंजीकृत कार्यालय—सीपत रोड, बिलासपुर जिला—बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495006

REGD. OFFICE- SEEPAT ROAD, BILASPUR, DISTT. -BILASPUR (C.G.)-495006

कार्मिक एवं एनईई विभाग

कमांक— एसईसीएल/बीएसपी/का./एनईई/पदोन्नति/2022/730

दिनांक 15.02.2022

—: कार्यालय आदेश :—

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर एसईसीएल के गोवरा क्षेत्र में चीफ लीगल इन्स्पेक्टर तक एवं . एवं. पर्य. ग्रेड—ए के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी की पदोन्नति एतद् द्वारा चीफ लीगल इन्स्पेक्टर तक एवं . एवं. पर्य. ग्रेड—ए-1, के पद पर वेतन समझौता—X के वेतनमान रु 47802.52 में तत्काल प्रभाव से की जाती है तथा अग्रिम आदेश तक उनकी पदस्थापना उनके वर्तमान कार्यस्थल/क्षेत्र/इकाई में ही रहेगी :-

No	NEIS No.	Name of employee /Shri	Caste	R/UR	Place of Posting
1	24858383	SURESH KUMAR SONI	SC	UR	GVR

उपरोक्त कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि वे पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपने महाप्रबंधक /नियंत्रण अधिकारी के समक्ष अपना कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। पदोन्नति के फलस्वरूप आर्थिक लाभ पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगा।

संबंधित कर्मचारी पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः महीने की अवधि के लिये 'परिवीक्षा अवधि' में रहेंगे तथा तत्पश्चात् उनका अपने पदोन्नत पद पर बने रहना उनके नियंत्रण अधिकारी से, परिवीक्षण अवधि के संतोषजनक कार्य प्रतिवेदन पर निर्भर होगा। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी का कार्य प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उस स्थिति में बिना किसी कारण बताये /क्षतिपूर्ति के या तो उनकी परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया जा सकता है या उन्हें अपने पूर्व पद पर पदावनत (रिवर्ट) करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।

पुनः संबंधित कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज/तथ्य गलत पाये जाने पर, बिना किसी पूर्वसूचना के पदोन्नती आदेश निरस्त करने के साथ ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रबंधन स्वतंत्र होगा।

पदोन्नत पद पर एक माह की अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी की पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाता है।

उप प्रबंधक (कार्मिक/एनईई),

एसईसीएल, मुख्यालय, बिलासपुर.

वितरण

1. सम्बंधित क्षेत्रीय महाप्रबंधक ,एसईसीएल गोवरा क्षेत्र.
2. महाप्रबंधक(कार्मिक एवं प्रशासन), एसईसीएल, बिलासपुर.
3. महाप्रबंधक(वित्त), एसईसीएल, बिलासपुर.
4. महाप्रबंधक (सिस्टम), एसईसीएल, बिलासपुर.
5. महाप्रबंधक (औ.अभियां.), एसईसीएल, बिलासपुर.
6. मुख्य प्रबंधक (का./एनईई.),एसईसीएल बिलासपुर.
7. क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक गोवरा क्षेत्र से अनुरोध है कि उनके क्षेत्रांतर्गत पदोन्नत कर्मचारियों के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करने का कष्ट करें एवं सम्बंधित पदोन्नत कर्मचारी के शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित संस्थान से करवाना सुनिश्चित करें। सत्यापन में किसी प्रमाण पत्र के गलत पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करें।
8. क्षेत्रीय वित्तप्रबंधक,एसईसीएल गोवरा क्षेत्र.
9. संबंधित पदोन्नत कर्मचारी— द्वारा क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक.गोवरा क्षेत्र